

12021

2021/173

11/10/21

(नियम 26) ~~उत्तरांचल~~

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (सातकर्ता) श्री गंगानगर

शिवकुमार बनाम राजगज वगैरा

अपील प्रकरण सं० 39/2021

अधिवक्ता अपीलार्थी :- श्री ओमप्रकाश बतारा अधिवक्ता रैस्पोंडेन्टस :-

दिनांक	वृत्त या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर तारीख
23.09.2021	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील वाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2021 को पेश हो। <i>व्यक्ति</i>	
11/10/21	अधिवक्ता अपीलार्थी/रिपोर्ट/रिपोर्ट सं० 7 का और है अधिवक्ता श्री दिनेश खजपुर अज कलक्टर सातकर्ता प्रकृत अफिल है। पत्रावली पत्रावली बहस स्थगन प्रार्थना पत्र 12/10/21 को पेश हो।	
12/10/2021	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रैस्पोंडेन्ट संख्या 07 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश किया जो शामिल किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी की प्रति अधिवक्ता अपीलार्थी को दिलाई गई। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2021 को पेश हो। <i>l</i>	
18/10/2021	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पीठारीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण आदेश लिखाया नहीं जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21.10.2021 को पेश हो। <i>l</i>	
21/10/2021	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। <i>l</i> अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरार्थी गणेश ऑयल एण्ड जनरल मिल्स, श्रीगंगानगर के चक 3 ई छोटी मुख्या नम्बर 38 के किला नम्बर 6 ता 8, 11 ता 15 एवं चक 6 ई छोटी के मुख्या नम्बर-1 किला नम्बर -10,11,12 कुल रकबा 9 बीघा 9 बिसवा दर्ज थी जिसकी पार्टनरशिप डीड बनी हुई थी, जिसमें प्रार्थी के पिता लक्ष्मण दारा पुत्र गणेशीलाल का 7 प्रतिशत का हिस्सा दर्ज था। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिस रायलक्ष्मण दारा के लड़के शिवकुमार, अनिल कुमार, रामधन वारिस है। उपरोक्त फर्म 1977 से रजिस्टर्ड फर्म है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत उसके जायज वारिस प्रार्थी व प्रार्थी के भाई बहन है जिसमें 9 बीघा 9 बिसवा रकबा में से 7 प्रतिशत हिस्सा यानि करीबन 1323 बिसवा रकबा का प्रार्थी व प्रार्थी के भाई हकदार है। रजिस्टर रिकॉर्ड में रकबा गैरार्थी गणेश ऑयल एण्ड जनरल मिल्स श्रीगंगानगर के नाम बल रहा था। प्रार्थी के पिता द्वारा फर्म को किराी को भी बेचान नहीं किया गया ना ही प्रार्थी द्वारा बेचान किया गया है।	

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी इसके हकदार है। अप्राथीगत को प्रार्थी का 7 प्रतिशत हिस्सा बेचने का अधिकार नहीं है जबकि अपीलार्थी के पिता लक्ष्मणदास के उत्तराधिकारी द्वारा कोई दस्तावेज अप्राथीगत के हक में लिखकर नहीं दिया गया। अतः प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अपीलार्थीन इन्तकाल संख्या 220 दिनांक 16.03.2021 के अन्तर्गत क्षेत्र से बाहर जाकर स्वीकृत किया है। अगर अप्राथीगत द्वारा जमीन का बेचान कर दिया और जमीन पर कब्जा ले लिया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः ताफैसला मौका एवं रिकॉर्ड की यथारिथत कायम रखे जाने का आदेश पारित किया जावे।

अधिवक्ता रेषपोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेषपोडेन्ट के द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा से भूमि खरीद की जाकर मौका पर कब्जा प्राप्त किया है एवं नेकनीयत साधिकार खरीददार खातेदार के खिलाफ स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलांट का न तो विधिक हक है एवं ना ही कब्जा है तो अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। खरीद की गई भूमि के संदर्भ में खाता विभाजन का वाद प्रस्तुत होने पर उपजिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश एवं डिक्री से खाता का विभाजन किया जाकर पृथक जमाबन्दी रेषपोडेन्ट के नाम से मुतैव की जा चुकी है इसलिये हरतगत अपील नाकाबिल चलने के एवं स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट वांछित अनुतोष प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि अधिवक्ता रेषपोडेन्ट द्वारा फार्म नम्बर फार्म नम्बर 03 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रस्तुत शपथ पत्र अनिल सिंगला पुत्र लक्ष्मण दास जो कि अपीलांट का भाई है ने अंकित किया है कि मेरे द्वारा और मेरे भाईयों द्वारा अपने-अपने हिस्से का प्रतिफल पूर्व में ही प्राप्त किया हुआ है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 220 दिनांक 16.03.2021 पंजीकृत बैयनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी बैयनामा जो पंजीकृत किया गया है से सन्तुष्ट नहीं है तो सिविल न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है। पंजीकृत बैयनामा पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते तल्बी एवं रिकॉर्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.11.2021 को पेश हो।

271

17/11/21

बार रांघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठारीन अधिकारी को पेश हो।

हे। पत्रावली दिनांक को पेश हो। पीठारीन अधिकारी को पेश हो।

17/11/21

बार रांघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठारीन अधिकारी को पेश हो।

हे। पत्रावली दिनांक को पेश हो। पीठारीन अधिकारी को पेश हो।

18/11/21

बार रांघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठारीन अधिकारी को पेश हो।

हे। पत्रावली दिनांक को पेश हो। पीठारीन अधिकारी को पेश हो।

21/11/21

23/3/22

बार सत्र के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण
आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं।
पीठासीन अधिकारी को पेश है।
हा. पत्रावली दिनांक 21/3/22 को पेश है।

पीठासीन अधिकारी अग्रिम भरण पर
कार्य के लिये 21/3/22 को उपस्थित
हा. पत्रावली दिनांक 21/3/22 को पेश है।

बार सत्र के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण
आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं।
पीठासीन अधिकारी को पेश है।
हा. पत्रावली दिनांक 14/6/22 को पेश है।

अपीलांत 577/22 को पेश है।
तलाक़ी के तलाक़ी नामक प्रेष कर (पत्रावली)
वास्तु तलाक़ी जमा 577/22 को पेश है।

27/6/22

अपीलांत उपस्थित। अधिवक्ता रेषपोडेन्ट संख्या 07
उपस्थित। अपीलार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांत द्वारा उक्त
दस्तावेजातस एवं तथ्यों की अनभिज्ञता एवं अज्ञानता में
उक्त अपील प्रस्तुत की थी जो कि वर्तमान में अपीलांत
के समक्ष समस्त वस्तु स्थिति स्पष्ट होने पर पंचायत
की रूह से रेषपोडेन्ट संख्या 7 एवं अन्य रेषपोडेन्टान के
साथ समझौता हो गया है किसी भी प्रकार का कोई
वाद विवाद शेष नहीं रहा है एवं ना ही भविष्य में किसी
भी प्रकार का कोई वाद विवाद आयन्दा प्रार्थी/
अपीलांत किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय में
उत्पन्न करेगा। अतः उपरोक्त अनवानी अपील को
पंचायत एवं लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा
के तहत पर आज ही पेशी में लिया जाकर दाखिल
दफतर फरमाया जावें। फलस्वरूप अपीलांत का लोक
अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने के कारण
अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका
की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे।
पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की
जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा
करवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Shiv Kumar
Munesh Shah
Jalendra Singh
27/6/22